15/12/16

वकील प्रतिवादी ने लिखित प्रतिवेदन
कार्यवाही मिसल तलबी का पेश किया और
निवेदन किया कि उक्त प्रकरण को
आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः
वादिनी नोट शीट पर इसारीज किया जावे
अतः वादवादी की प्रार्थना वादपत्र
खारीज किया जाता है। मामला
फैसल शुमार होकर तामील के बाद
दो माह तलबीली जाकर मिसल
दफ्तर हो। बाद तामीली जाकर
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

ओमप्रकाश शर्मा
पदेन न्यायाधीश

Layak
15.12.2016